अंडर ब्रिज के पास सड़क बाधा कर सामान फैलाकर कर रहे थे कपड़ा का व्यवसाय, यातायात हो रहा था प्रभावित, आवागमन में हो रही थी दिक्कतें, भिलाई निगम की टीम ने किया बेदखल

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत सड़क बाधा कर तथा सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। बाजार हो या रहवासी क्षेत्र कहीं भी दुकान के आगे सड़क पर सामान रखकर आवागमन को बाधित करते हुए पाए जाने पर सामान जप्ती के साथ अर्थदण्ड वसूलने की कार्रवाई की जा रही है , निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सड़क बाधा कर आवागमन अवरुद्ध करने वालो खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए है, इसके परिपालन में जोन स्तर पर टीम गठित की गई है जो इधर उधर कचरा फेंककर गंदगी फैलाने , डस्टबीन नहीं रखने और सड़क पर सामान फैलाकर आवागमन को बाधित करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्रवाई कर रहे है , पिछले दो दिनों पर 37 से अधिक स्थान पर कार्रवाई की गई है , इसी के तहत आज प्रियदर्शनी परिसर के पास सड़क को बाधित कर सड़क किनारे कपड़े का व्यवसाय करने वालों को बेदखल किया गया। जोन के सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर ने बताया कि शॉल, स्वेटर, गमछा जैसे गर्म कपड़े के व्यवसाय करने वाले कुछ दिनों से अंडरब्रिज के पास सुबह से दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे थे, जहां बेतरतीब तरीके से वाहनों का जमवाड़ा लग रहा था, जिसके कारण वहां भीड़ भाड़ जमा होने से सुबह से लेकर शाम तक यातायात प्रभावित हो रहा था, वहां से गुजरने वाले लोगो को वाहन निकालने में परेशानी हो रही थी जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी , उन व्यवसायियों को पूर्व में वहां से दुकान हटाने के लिए कहा गया था लेकिन नहीं मानने पर आज निगम की राजस्व विभाग की टीम सुबह मौके पर पहुंची और 4-5 दुकान वालो को हटाने की कार्रवाई की तथा उन व्यवसायियों से 6 हजार का जुर्माना भी लिया।